

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-97

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2022 को दिया जाना है ।

देश में विद्युत आपूर्ति की कमी

*97. श्री राघव चड्ढा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कोयला संकट मंडरा रहा है और बिजली की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कोयले की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और मांग बनाम आपूर्ति का मैट्रिक्स क्या है;

(घ) सरकार द्वारा कोयले की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) कोयले की कमी को दूर करने के लिए राज्यों को क्या निर्देश/सुझाव दिए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

“देश में विद्युत आपूर्ति की कमी” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 97 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : सीईए द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में उपलब्ध कोयला स्टॉक की दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है। दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, कोयले का स्टॉक 25.6 मिलियन टन (एमटी) था और यह दिनांक 15.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, बढ़कर 28.4 एमटी हो गया, जो टीपीपी द्वारा अनुरक्षण हेतु अपेक्षित निर्देशात्मक कोयला स्टॉक का लगभग 50% है। दिनांक 15.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, उपलब्ध कोयला स्टॉक इन विद्युत संयंत्रों को 85% संयंत्र भार घटक पर औसतन 10 दिन तक चलाने के लिए पर्याप्त है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून) के दौरान, 404.76 बिलियन यूनिट (बीयू) की मांग की तुलना में, 400.65 बीयू ऊर्जा की आपूर्ति की गई थी। यह कमी ऊर्जा आवश्यकता का 1% थी। आपूर्ति में यह अंतर आम तौर पर देश में विद्युत की अपर्याप्त उपलब्धता के बजाए अन्य कारकों के कारण था, जो वितरण नेटवर्क में बाधाएं, वित्तीय बाधाएं, वाणिज्यिक कारण, उत्पादन यूनिटों की जबरन बंदी आदि हैं।

(ग) : कोयला प्राप्ति एवं कोयला खपत के माह-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

माह	प्रति दिन प्राप्ति (टीटी/दिन)	प्रति दिन खपत (टीटी/दिन)	आपूर्ति एवं मांग के बीच अंतर (टीटी/दिन)
अप्रैल-22	2108	2236	-127
मई-22	2181	2126	55
जून-22	2244	2154	90
जुलाई, 2022 (15 तक)	2067	1957	110

(घ) और (ड) : सरकार ने कोयला आपूर्ति की कमियों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की संकटपूर्ण स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है।
- (ii) कोयला आपूर्ति और विद्युत उत्पादन क्षमता के संवर्धन के संबंध में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोयले की मध्यावधि एवं दीर्घावधि मांग पूरी की जा सके, एक सचिव स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति स्थापित की गई है। आईएमसी में सदस्यों के रूप में अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, सचिव, कोयला मंत्रालय, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा संयोजक के रूप में सचिव, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं।
- (iii) ताप विद्युत संयंत्रों में घरेलू कोयले की उच्च मांग पर विचार करते हुए, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने मानसून के शुरू होने से पहले न्यूनतम आवश्यक कोयला स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 28.04.2022 को राज्य क्षेत्र और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को अपनी आवश्यकता के @10% आयातित कोयले के साथ ब्लैंडिंग करने हेतु एडवाइजरी जारी की है, ताकि मानसून अवधि के दौरान कोयले की घरेलू आपूर्ति कम होने पर उनकी मांग पूरी करने के लिए विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- (iv) सीआईएल ने टीपीपीज को सड़क-सह-रेल (आरसीआर) मोड में लगभग 16 एमटी कोयला आबंटित किया है।
- (v) रेलवे ने गुड शेड साइडिंग (जीएसएस) तथा निजी वाशरी (पीडब्ल्यू) से कोयले की लोडिंग के लिए विद्युत क्षेत्र को वरीयता देने का आदेश दिया है।
- (vi) विद्युत मंत्रालय ने समय-समय पर राज्यों को सलाह दी है कि वे सीआईएल द्वारा प्रस्तावित कोयले को आरसीआर मोड पर लें और अपनी कैप्टिव खानों से उत्पादन लक्ष्य भी हासिल करें।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-98

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2022 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता

***98. श्री जवाहर सरकार:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्युत संयंत्रों ने कोयले का अनिवार्य भंडारण नहीं किया था और अप्रैल, 2022 में, जब बिजली संकट उत्पन्न हुआ तो अधिकांश संयंत्रों के पास अपेक्षित भंडार का लगभग 10 प्रतिशत कोयला ही मौजूद था; और

(ख) क्या सरकार ने आयातित कोयले के 10 प्रतिशत मिश्रण को सुनिश्चित करने हेतु विद्युत अधिनियम के तहत 27 मई, 2022 को लिए गए निर्णय की तर्ज पर संयंत्रों में कोयले के भंडार को सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

“विद्युत संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 98 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने संशोधित कोयला भंडारण मानदंड जारी किए हैं जिनमें विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति/खपत पैटर्न में मौसमी घट-बढ़ के साथ 85% पीएलएफ पर अपनी आवश्यकता के आधार पर पिटहैड संयंत्रों के लिए 12 से 17 दिन का और नॉन-पिटहैड संयंत्रों के लिए 20 से 26 दिनों का कोयला भंडार बनाए रखने हेतु अधिदेशित किया है। मानदंडों के अनुसार, विद्युत संयंत्रों को अप्रैल, 2022 माह के दौरान पिटहैड संयंत्रों के मामले में 17 और नॉन-पिटहैड संयंत्रों के मामले में 26 दिन का कोयला भंडार बनाए रखना है।

दिनांक 30.04.2022 तक की स्थिति के अनुसार, सीईए द्वारा दैनिक आधार पर निगरानी किए गए विद्युत संयंत्रों में लगभग 21.95 मिलियन टन (एमटी) का कोयला भंडार उपलब्ध था, जो 66.53 एमटी की निर्देशात्मक भंडार अपेक्षा का लगभग 33% था। इसके अतिरिक्त, सीईए द्वारा दैनिक आधार पर निगरानी किए गए लगभग 2,03,347 मेगावाट क्षमता के 173 विद्युत संयंत्रों में से 44,176 मेगावाट क्षमता के 50 संयंत्रों में कोयला भंडार निर्देशात्मक भंडार अपेक्षा के 10% से कम था।

(ख) : विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिनांक 28.04.2022 के पत्र द्वारा मानसून शुरू होने से पहले न्यूनतम अपेक्षित कोयला भंडार सुनिश्चित करने के लिए राज्य क्षेत्र तथा आईपीपी संयंत्रों को अपनी आवश्यकता पर 10% की दर से ब्लैंडिंग हेतु कोयले का आयात करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय जेनकोस को इसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी कर दिया गया था। विद्युत मंत्रालय का यह निर्णय विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त भंडार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए था जिससे मानसून की अवधि के दौरान जब कोयले की घरेलू आपूर्ति कम हो जाती है, तब उनकी मांग की पूर्ति की जा सके।

इस संबंध में, विद्युत मंत्रालय द्वारा विभिन्न निदेश/आदेश जारी किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

- i. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 13 मई, 2022 के पत्र द्वारा सभी राज्यों तथा एसईआरसीज को उनके नियंत्रणाधीन सभी उत्पादन कंपनियों को विद्युत मंत्रालय के आदेशों के अनुसार ब्लैंडिंग के लिए कोयले का आयात करने हेतु तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, ताकि संसाधनों की पर्याप्तता सुनिश्चित की जा सके।

- ii. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 18 मई, 2022 के पत्र द्वारा जेनकोज को उत्पादन बनाए रखने तथा देश की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करने की पुनः सलाह दी है।
- iii. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 18 मई, 2022 के एक अन्य पत्र द्वारा भी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 107 के अंतर्गत एसईआरसीज/जेईआरसीज को प्रतिलिपि सहित सीईआरसी को एमओपी के अनुदेशों के अनुसार आयातित कोयले के साथ ब्लैंडिंग की अनुमति देने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए निदेश जारी किए हैं।
- iv. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 26 मई, 2022 के पत्र द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 के अंतर्गत, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत विद्युत की आपूर्ति करने वाली उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली कार्य पद्धति देते हुए, और राज्य सरकारों/डिस्कॉमों द्वारा आयातित कोयले के साथ ब्लैंडिंग के कारण क्षतिपूर्ति की गणना करने के निदेश जारी किए हैं।
- v. विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 28 मई, 2022 के पत्र द्वारा सभी राज्य जेनकोज/आईपीपीज से आवश्यक कार्रवाई करने और पहले से अवार्ड की जा चुकी मात्रा पर विचार करते हुए संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयातित कोयले के साथ अपनी ब्लैंडिंग की शेष आवश्यकता का मूल्यांकन करने और दिनांक 30.09.2022 तक की आवश्यकता को भी अलग से दर्शाने के लिए पुनः अनुरोध किया है।
- vi. विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की संकटपूर्ण स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है।

प्रस्तावित घरेलू कोयले को उठाने के लिए उत्पादन कंपनियों (जेनकोज) के प्रदर्शन और ब्लैंडिंग के लिए आयात के संबंध में की गई कार्रवाई के आधार पर, उप-समूह अपनी बैठक में जेनकोस को रेलवे रैकों को आबंटित करने के लिए निर्णय लेता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1108

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2022 को दिया जाना है ।

पम्पड स्टोरेज परियोजनाओं का विकास

1108. श्री सुजीत कुमार:

डा. अमर पटनायक:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पम्पड स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में दिशानिर्देश कब तक जारी किए जाएंगे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को नामांकन के आधार पर पम्पड स्टोरेज परियोजनाओं के आवंटन के लिए दिशानिर्देश तैयार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में राज्यों से परामर्श किया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली तथा पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के लिए एक स्कीम सरकार के विचाराधीन है।

(ग) : जी नहीं।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1109

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

सौभाग्य योजना के अधीन बिजली का कनेक्शन

1109. श्रीमती मौसम नूर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पश्चिमी बंगाल में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अधीन पिछली तिमाही में जिले-वार कुल कितने परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;
- (ख) पश्चिमी बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने में सरकार को किन-किन बाधाओं का सामना करना पड़ा है और इसके लिए कौन-कौन से उपाय किया जाना प्रस्तावित हैं; और
- (ग) सरकार का पश्चिमी बंगाल के सभी ग्रामीण परिवारों को कब तक बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाने का विचार है और इसके साथ ही अगली तिमाही, जुलाई-सितंबर में ऐसे कितने परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाने का लक्ष्य है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करते हुए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना- सौभाग्य शुरू की थी। सौभाग्य स्कीम के शुरुआत से पश्चिम बंगाल में कुल 7,32,290 घर विद्युतीकृत किए गए थे। पश्चिम बंगाल राज्य ने सूचित किया है कि राज्य में 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण पूरा किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल राज्य में विद्युतीकृत किए गए घरों के जिला-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

पश्चिम बंगाल सहित, सौभाग्य के कार्यान्वयन की गति में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

- (i) कार्यक्रम को शीघ्र शुरू करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों में सौभाग्य कार्यनीति सूत्रीकरण कार्यशालाओं का शुभारंभ।

- (ii) गाँव/गाँवों के समूह में कैम्पों की स्थापना करना, जहाँ जन प्रतिनिधि (विधायक, सांसद, ग्राम प्रधान) द्वारा बड़े पैमाने पर जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सहायता की गई।
- (iii) सौभाग्य के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण के लिए 14,270 करोड़ रुपये का अवसंरचना सहयोग और भारत सरकार द्वारा राज्यों को पर्याप्त वित्तपोषण किया गया।
- (iv) संचार योजना, 24X7 'एक राष्ट्र एक नंबर' टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से संचार और विशेष अभियान 'सौभाग्य रथ' ने विभिन्न मीडिया विकल्पों जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर आदि) सहित जागरूकता उत्पन्न करने में सहयोग किया।
- (v) कार्यान्वयन के तरीके में राज्यों के लिए लचीलापन (विभागीय/टर्नकी/अर्ध - टर्नकी)।
- (vi) एक व्यापक वेब पोर्टल 'saubhagya.gov.in' विकसित किया गया था और डिस्कॉमों को दिन-प्रतिदिन की निगरानी करने में समर्थ बनाने के लिए पोर्टल पर हुई प्रगति के अद्यतन के लिए पहुँच प्रदान की गई।
- (vii) उत्पादों तथा उपस्करों की शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए) के साथ समन्वय।
- (viii) कार्यबल के प्रभावी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ समन्वय के माध्यम से अपेक्षित दक्षता के साथ पर्याप्त कुशल जनशक्ति की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाया गया।
- (ix) ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के अंतर्गत परियोजनाओं की निगरानी में 350 से अधिक इंजीनियरों अर्थात् ग्राम विद्युत अभियंताओं (जीवीए) की नियुक्ति की गई थी।
- (x) हेलीकॉप्टरों और भारतीय रेलवे के सहयोग ने आवश्यक सामानों को अज्ञात तथा दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- (xi) सरकार, केंद्र, राज्यों और वितरण यूटीलिटियों की सभी स्तरों पर निगरानी और समीक्षा।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1109 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में विद्युतीकृत घरों के जिला - वार ब्यौरे

ज़िला	विद्युतीकृत घरों की संख्या
बांकुरा	24415
बर्धमान	65767
बीरभूम	36859
कूच बिहार	35043
दक्षिण दिनाजपुर	6828
दार्जिलिंग	10434
हृगली	41692
हावड़ा	27827
जलपाईगुड़ी	17130
मालदा	32871
मुर्शिदाबाद	54433
नादिया	51631
उत्तरी 24 परगना	61078
पश्चिम मेदिनीपुर	21901
पूर्व मेदिनीपुर	33407
पुरुलिया	52234
दक्षिण 24 परगना	144401
उत्तर दिनाजपुर	14339
कुल	7,32,290

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1110

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

विभिन्न स्रोतों से विद्युत का उत्पादन

1110. डॉ. अशोक कुमार मित्तल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों में कोयला, जल विद्युत, तापीय और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न स्रोतों से कितने-कितने प्रतिशत बिजली का उत्पादन किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या कोयले का उपयोग करके बिजली उत्पादन करने से प्रदूषण बढ़ता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून, 2022 तक) के दौरान देश में थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और नवीकरणीय स्रोतों जैसे स्रोतों से उत्पादित विद्युत की प्रतिशतता के ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं।

(ख) से (घ) : विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से निकलने वाली फ्लू गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, के साथ-साथ अन्य गैसों जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड (No_x), सल्फर ऑक्साइड (So_x), पारा और पार्टिकुलेट मैटर होते हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 07.12.2015 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में संशोधन के अंतर्गत कोयला आधारित टीपीपीज़ के लिए So₂, No_x और पारा आदि सहित पर्यावरण मानक प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 31.03.2021 की राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत गैर-अनुपालन के लिए दंड के साथ-साथ भिन्न समय सीमा वाली तीन श्रेणियों में ताप विद्युत संयंत्रों को वर्गीकृत किया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गैर-अनुपालना करने वाले संयंत्रों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1110 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून, 2022 तक) के दौरान देश में थर्मल (कोयला, लिग्नाइट, गैस आदि), न्युक्लियर, हाइड्रो और नवीकरणीय स्रोतों जैसे स्रोतों से उत्पन्न विद्युत की प्रतिशतता के ब्यौरे

श्रेणी	ईंधन	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (जून तक)*	
		उत्पादन (एमयू)	शेयर का %	उत्पादन (एमयू)	शेयर का %	उत्पादन (एमयू)	शेयर का %	उत्पादन (एमयू)	शेयर का %
तापीय	कोयला	961218.2	69.2	950937.6	68.8	1041487.4	69.8	307947.5	71.4
	लिग्नाईट	32978.8	2.4	30505.7	2.2	37094.0	2.5	10130.1	2.4
	प्राकृतिक गैस	48442.6	3.5	50944.0	3.7	36015.7	2.4	7515.5	1.7
	डीजल	108.2	0.0	126.3	0.0	117.2	0.0	31.8	0.0
कुल तापीय		1042747.9	75.1	1032513.5	74.7	1114714.4	74.7	325625.0	75.5
न्युक्लियर		46472.5	3.3	43029.1	3.1	47112.1	3.2	10860.1	2.5
हाइड्रो		155769.1	11.2	150299.5	10.9	151627.3	10.2	38271.5	8.9
नवीकरणीय (बृहत् जल विद्युत के अलावा)		138337.0	10.0	147247.5	10.7	170912.3	11.5	54587.6	12.7

* अनंतिम

टिप्पणी: नवीकरणीय स्रोतों से सकल उत्पादन (पवन, सौर, बायोमास, पराली, लघु जलविद्युत और अन्य)

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1111

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

बिजली संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति में कमी

1111. श्री वाइको:

श्री एम. शनमुगम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में कई सरकारी बिजली संयंत्र दबावग्रस्त बिजली संयंत्र हैं, जिन्हें कोयला खरीदने और बिजली उत्पादन शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या ऐसे बिजली संयंत्रों को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आरईसी लिमिटेड की ओर से अल्पावधि ऋण प्रदान करने की पेशकश की जाएगी;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) कितने सरकारी बिजली संयंत्रों की उत्पादन क्षमता कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण कम हो गई है और मंत्रालय द्वारा इन संयंत्रों को ईंधन उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और
- (च) क्या बिजली संयंत्र ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से बिजली का उत्पाद कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : राज्य क्षेत्र उत्पादन कंपनियों (जेनकोस) आम तौर पर वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) से प्राप्तियोग्य राशियों की वसूली में विलंब का सामना कर रही हैं, जिससे कर्ज का समय से भुगतान करने की उनकी क्षमता कम होती है जिसके कारण कार्यशील पूंजी समाप्त हो जाती है। कार्यशील पूंजी कम होने के फलस्वरूप, जेनकोस की कोयला खरीदने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) और (घ) : राज्य क्षेत्र की उन उत्पादन कंपनियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, जिन्होंने कोयले की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी ऋण हेतु रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) से संपर्क किया है:

क्रम सं.	राज्य	यूटिलिटी	आरईसी द्वारा संस्वीकृत ऋण (करोड़ रु. में)
1.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (एमएसपीजीसीएल)	1800
2.	राजस्थान	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	500

		(आरआरवीयूएनएल)	
3.	पंजाब	पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल)	400
4.	हरियाणा	हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल)	500
5.	कर्नाटक	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल)	500
		कुल	3700

ऋणदाताओं द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर उचित उद्यम के माध्यम से उनकी वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता के अनुसार कोई ऋण स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाता है।

(ड) : सीईए द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में उपलब्ध कोयला स्टॉक की दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है। दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, कोयले का स्टॉक 25.6 मिलियन टन (एमटी) था और यह दिनांक 17.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, बढ़कर 28.4 एमटी हो गया, जो टीपीपी द्वारा अनुरक्षण हेतु अपेक्षित निर्देशात्मक कोयला स्टॉक का लगभग 50% है। दिनांक 17.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, उपलब्ध कोयला स्टॉक इन विद्युत संयंत्रों को 85% पीएलएफ पर औसतन 10 दिन तक चलाने के लिए पर्याप्त है।

सरकार ने निर्बाध विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत संयंत्रों को कोयले की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की संकटपूर्ण स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है।
- (ii) कोयला आपूर्ति एवं विद्युत उत्पादन क्षमता के संवर्धन पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए एक सचिव स्तरीय अंतर-मंत्रालय समिति स्थापित की गई है ताकि कोयले की मध्यावधि एवं दीर्घावधि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। आईएमसी में सदस्य के रूप में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, सचिव, कोयला मंत्रालय, सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयोजक के रूप में सचिव, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीईए आईएमसी को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- (iii) विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 28.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा विद्युत संयंत्रों को वर्ष 2022-23 के दौरान ब्लैंडिंग उद्देश्यों के लिए कोयले का आयात करने की सलाह दी है।
- (iv) सीआईएल ने टीपीपी को रोड सह रेल (आरसीआर) मोड पर लगभग 16 एमटी कोयला आवंटित किया है।
- (v) रेल मंत्रालय ने गुड शेड साइडिंग (जीएसएस) तथा निजी वॉशरी से कोयले की लोडिंग के लिए विद्युत क्षेत्र को वरीयता देने का आदेश जारी किया है।

(च) : वर्ष 2021-22 के दौरान 25 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता के कोयला/लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों का संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) 58.87 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 में, विद्युत की मांग बढ़ी है और विद्युत संयंत्र उन्हें दिए गए शेड्यूल के अनुसार विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जून- 2022 तक कोयला/लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए पीएलएफ लगभग 69.5% है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1112

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2022 को दिया जाना है ।

कायमकुल्लम में एनटीपीसी इकाई का परिचालन फिर से शुरू किया जाना

1112. श्रीमती जेबी माथेर हीशम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या केन्द्र सरकार केरल के कायमकुल्लम में एनटीपीसी इकाई के परिचालन को फिर से शुरू करने की योजना बना रही है।

उत्तर

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)**

केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल), एनटीपीसी- कायमकुल्लम के राजीव गांधी संयुक्त साइकिल पावर प्लांट (आरजीसीसीपीपी) से उत्पादित विद्युत का एकमात्र लाभार्थी है।

एनटीपीसी और केएसईबीएल के बीच दिनांक 12.11.2020 के करार के अनुसार, एनटीपीसी कायमकुल्लम वर्तमान में दीर्घकालिक संरक्षण मोड में है। केएसईबीएल से 45 दिनों के नोटिस के साथ यूनिट का प्रचालन के लिए पुनरुद्धार किया जा सकता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1113

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

1113. श्री विजय पाल सिंह तोमर:

श्री हरनाथ सिंह यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश के विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार ने देश के विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने में क्या उपलब्धि हासिल की है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर एवं प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से सुधार-आधारित एवं परिणाम संबद्ध संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का कुल परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये और केंद्रीय सरकार से अनुमानित जीबीएस 97,631 करोड़ रुपये है। परस्पर सहमत कार्रवाई योजनाओं के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता को सुधार उपायों और उनसे प्राप्त परिणामों से संबद्ध किया गया है।

भारत सरकार ने डिस्कॉमों की वित्तीय और प्रचालन दक्षता में सुधार करने के लिए लिक्विडिटी निषेचन स्कीम (एलआईएस): विद्युत क्षेत्र के सुधारों से संबद्ध राज्यों के लिए जीएसडीपी के 0.5 % की अतिरिक्त उधारी, यूटीलिटियों के निष्पादन के आधार पर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड द्वारा ऋण देने के लिए अतिरिक्त विवेकसम्मत मानदंडों को समाविष्ट करने सहित अनेक हस्तक्षेप किए हैं।

इसके अतिरिक्त, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) को उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों में दक्षता सुधारों और वित्तीय पुनर्गठन के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉमों) के प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्यापलट के समग्र उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। परिणामस्वरूप, राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों ने समग्र सुधार की सूचना दी है जिसमें (i) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों में वित्तीय वर्ष 2016 में 23.70% से वित्तीय वर्ष 2020 में 20.93% की कमी और (ii) औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) - औसत राजस्व वसूली (एआरआर) अंतर में वित्तीय वर्ष 2016 में 0.48 रु. प्रति किलोवाट प्रति घंटे से वित्तीय वर्ष 2020 में 0.30 रु. प्रति किलोवाट प्रति घंटे की कमी शामिल है।

विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने में किए गए प्रमुख हस्तक्षेप अनुबंध में दिए गए हैं।

राज्य सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1113 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

- क. भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करते हुए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना- सौभाग्य शुरू की। इस योजना के अंतर्गत, दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों (छत्तीसगढ़ के कुछ घरों को छोड़कर) ने पूर्ण विद्युतीकरण की सूचना दी है। सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से कुल 2.63 करोड़ इच्छुक घरों का विद्युतीकरण किया गया। तदोपरांत, दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित 18.85 लाख घर, जो पहले अनिच्छुक थे, बाद में इच्छा व्यक्त की, उन्हें दिनांक 31.03.2021 तक विद्युतीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत दिनांक 15.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार 4,40,893 घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तदनुसार, सौभाग्य के शुभारंभ के बाद अब तक कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।
- ख. भारत सरकार ने कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण और संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और पूरे देश के गांवों का विद्युतीकरण करने सहित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसम्बर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की।
- ग. विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (उपभोक्ताओं का अधिकार) नियम, 2020 को इस दृढ़ विश्वास के साथ अधिसूचित किया कि विद्युत प्रणालियां उपभोक्ताओं की सेवा के लिए विद्यमान हैं और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवाएं एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्राप्त करने का अधिकार है। इस नियमावली में मानकों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने या अपने उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए देश भर में वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए समय सीमा और मानक निर्धारित किए गए हैं।
- घ. विद्युत मंत्रालय ने डिस्कॉमों के साथ-साथ विद्युत उपभोक्ताओं और उत्पादन कंपनियों जो सुनिश्चित मासिक भुगतान से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, को बड़ी राहत देने के लिए विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 अधिसूचित किया है, जिससे पूरे विद्युत क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनने में मदद मिलेगी।
- ङ. विद्युत मंत्रालय ने विधि में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली सुनिश्चित करने और विद्युत क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए विद्युत (विधि में परिवर्तन के कारण लागत की समय पर वसूली) नियम, 2021 लागू किए हैं।

- च. नेशनल मेरिट ऑर्डर डिस्पैच के साथ राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों को इष्टतम करने और अंतर-राज्यीय उत्पादन स्टेशनों (आईएसजीएस) को प्रदान किए गए लचीलेपन के लाभों की प्राप्ति कर सकने के लिए, दिनांक 01.04.2019 से सुरक्षा बाधित आर्थिक प्रेषण (एससीईडी) पायलट स्कीम कार्यान्वित की गई। अप्रैल, 2019 में एससीईडी पायलट की शुरुआत से जनवरी, 2021 तक, अखिल भारतीय आधार पर उत्पादन लागत में संचयी बचत 1624 करोड़ रुपए थी। इसके परिणामस्वरूप अधिक दक्ष विद्युत संयंत्रों का उच्च क्षमता उपयोग हुआ है। उपभोक्ता डिस्कॉम से हरित ऊर्जा की आपूर्ति की मांग के हकदार हैं। डिस्कॉम हरित विद्युत के क्रय और पात्र उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे।
- छ. आरई क्षेत्र को स्थिर करने के लिए, अर्थात आरई की उपलब्धता और उपयोग में बाधाओं को दूर करने और लंबे समय से खुली पहुंच के विकास में बाधा डालने वाले मुद्दों पर ध्यान देने के लिए, हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम, 2022 जारी किए गए हैं। इस नियम में खुली पहुंच की सीमा को 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दिया गया है, जिसने छोटे उपभोक्ताओं के लिए भी आरई क्रय करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है और कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिए कोई सीमा नहीं है। कोई उपभोक्ता डिस्कॉम से हरित विद्युत की आपूर्ति की मांग कर सकता है।
- ज. भारत सरकार ने विद्युत आपूर्ति में सुधार और शहरी क्षेत्रों में समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों को कम करने के उद्देश्य से, विद्युत वितरण कंपनियों/बोर्डों/विभागों के उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क और अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 03.12.2014 को "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम" (आईपीडीएस) अधिसूचित की और चल रहे "पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम" (आरएपीडीआरपी) को आईपीडीएस के साथ शामिल किया। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद कर दी गई है और सभी कार्य पूर्ण घोषित किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1114

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी

1114. डा. किरोड़ी लाल मीणा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का ध्यान देश में ताप विद्युत संयंत्रों के समक्ष आ रही कोयले की कमी की समस्या की ओर दिलाया गया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कमी के क्या कारण हैं;
- (ग) क्या राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में विद्युत संयंत्रों को संचालित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कोयले की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : देश में ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपीज) में उपलब्ध कोयला स्टॉक की दैनिक आधार पर निगरानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा की जाती है। दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, कोयला स्टॉक 25.6 मिलियन टन (एमटी) था और यह दिनांक 30.04.2022 तक की स्थिति के अनुसार घटकर 21.9 एमटी हो गया लेकिन मई और जून, 2022 के महीनों के दौरान बढ़ गया और अब दिनांक 17.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, 28.4 एमटी तक पहुंच गया है जो 85% संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) की आवश्यकता पर औसतन 10 दिनों के लिए पर्याप्त है।

(ग) और (घ) : आरवीयूएनएल के ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के संबंध में राजस्थान सरकार से निम्नलिखित अनुरोध प्राप्त हुए थे:

- (i) राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय केंद्रीय ऊर्जा तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री को संबोधित दिनांक 09.09.2021 के अ.शा. पत्र के माध्यम से राज्य में निर्बाध विद्युत सुनिश्चित करने के लिए आरवीयूएन के विद्युत स्टेशनों को 11-12 रेक/दिन की आपूर्ति करने के लिए कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड को कहने का अनुरोध किया।

- (ii) राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय केंद्रीय ऊर्जा तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री को संबोधित दिनांक 15.11.2021 के अ.शा. पत्र के माध्यम से अनुरोध किया कि आरवीयूएन के कोयला ब्लॉकों के लंबित मुद्दों को एमओईएफएंडसीसी के साथ उठाया जाए और सीआईएल से अतिरिक्त 3-4 रेक प्रति दिन की आपूर्ति के लिए कहा जाए।
- (iii) राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय केंद्रीय ऊर्जा तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री को संबोधित दिनांक 15.02.2022 के अ.शा. पत्र के माध्यम से निम्नलिखित हस्तक्षेपों के लिए अनुरोध किया:

1. एसईसीएल/एनसीएल 4340 मेगावाट क्षमता को 42500 मीट्रिक टन/दिन कोयला (जीसीवी मूल्य-4500 किलो कैलोरी/किग्रा) की आपूर्ति करे, जो वर्तमान में आरवीयूएन के कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से लिंक है।
2. सीआईएल से लिंक आरवीयूएन के ताप विद्युत संयंत्रों को वर्तमान में आपूर्ति किए जा रहे 9.3 रेक/दिन के अतिरिक्त 6 रेक/दिन अतिरिक्त (कुल: 15.3 रेक/दिन) का आवंटन।
3. छत्तीसगढ़ सरकार से पीईकेबी कोयला ब्लॉक के दूसरे चरण की 1136 हेक्टेयर के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य अनुमोदन/मंजूरी में तेजी लाने में सहायता करना।

सरकार ने देश में विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की है:-

- (i) विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरैनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में कोयला स्टॉक की संकटपूर्ण स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है।
- (ii) कोयला आपूर्ति तथा विद्युत उत्पादन क्षमता के संवर्धन पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए एक सचिव स्तरीय अंतर-मंत्रालय समिति स्थापित की गई है ताकि कोयले की मध्यावधि एवं दीर्घावधि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। आईएमसी में सदस्य के रूप में अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, सचिव, कोयला मंत्रालय, सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयोजक के रूप में सचिव, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं।
- (iii) विद्युत मंत्रालय ने विद्युत संयंत्रों को वर्ष 2022-23 के दौरान मिश्रण के प्रयोजनार्थ कोयला का आयात करने के लिए दिनांक 28.04.2022 के का.जा. द्वारा सलाह दी है।
- (iv) लिंकेज (दीर्घकालिक) पर स्थायी समिति ने दिनांक 29.03.2022 की अपनी बैठक में दो गैर-परिचालित कोयला ब्लॉकों अर्थात् परसा और कंटे एक्सटेंशन के निमित्त राजस्थान में 2170 मेगावाट की क्षमता के लिए 01 वर्ष की अवधि के लिए कोयले के ब्रिज लिंकेज की अनुशंसा की है।
- (v) विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 13.7.2022 के का.जा. द्वारा रेल मंत्रालय से बिजली घरों के लिए माल शेड, निजी वाशरी से कोयले की लोडिंग और थर्मल उद्देश्य के लिए बिजली घरों के लिए बंदरगाहों से आयातित कोयले की लोडिंग को उच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध किया।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1115

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र में ओडिशा का योगदान

1115. डा. सस्मित पात्रा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विद्युत क्षेत्र में ओडिशा के योगदान का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) राष्ट्र के विद्युत क्षेत्र का और अधिक विकास करने के लिए ओडिशा में इस क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों/शुरू की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : ओडिशा को विशाल कोयला भंडार प्रदान किया गया है तथा ओडिशा में कई अंतर-राज्यीय उत्पादन परियोजनाएं (आईएसजीपी) और निजी उत्पादन परियोजनाएं स्थित हैं। ओडिशा की वर्तमान उत्पादन संस्थापित क्षमता लगभग 7650 मेगावाट (मई, 2022 तक) है जिसमें लगभग 4860 मेगावाट थर्मल, 2160 मेगावाट हाइड्रो और 630 मेगावाट नवीकरणीय उत्पादन शामिल है। वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 (मई, 2022 तक) के लिए ओडिशा राज्य के संबंध में स्रोत-वार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन निम्नानुसार है:

ओडिशा आरई उत्पादन (एमयू में)			
स्रोत का नाम	2020-21	2021-22	2022-23 (मई, 2022 तक)
पवन	0.00	0.00	0.00
सौर	476.26	603.71	129.01
बायोमास	42.71	100.08	13.89
पराली	0.00	0.00	0.00
लघु जलविद्युत	358.80	377.32	32.00
अन्य	0.00	0.00	0.00
वृहत जलविद्युत	6859.97	5230.63	810.00
कुल	7737.74	6311.73	984.90

इन उत्पादन से विद्युत का उपयोग ओडिशा (मई, 2022 तक लगभग 6313 मेगावाट) की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है और लगभग 10,500 सीकेएम पारेषण लाइन से युक्त अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली

(आईएसटीएस) और लगभग 19,200 एमवीए परिवर्तन क्षमता के विशाल नेटवर्क के माध्यम से शेष विद्युत को देश के अन्य भागों में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ओडिशा में 2 स्टेटकॉम राउरकेला (± 300 एमवीएआर) और जेपोर (± 200 एमवीएआर) भी आईएसटीएस ग्रिड में गतिशील मुआवजा प्रदान करते हैं। ओडिशा में पारेषण परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

- I. ओडिशा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आईएसटीएस प्रणाली को और बढ़ाने के लिए, विभिन्न नई आईएसटीएस प्रणाली आयोजना चरण में है। उसी का विवरण नीचे दिया गया है:

क. जेपोर-जगदलपुर 400 केवी डी/सी (क्वाड) लाइन

ख. झारसुगुड़ा - राउरकेला 400 केवी 2xडी/सी लाइन का एचटीएलएस कंडक्टर सहित पुनर्संचालन।

इन स्कीमों के वर्ष 2024-25 की समय सीमा में चालू होने की उम्मीद है।

- II. वर्तमान में, पावरग्रिड ओडिशा में लगभग ₹58 करोड़ की लागत से संचार, स्काडा प्रणालियों, एकीकृत नेटवर्क प्रबंधन प्रणालियों आदि से संबंधित 5 परियोजनाओं को नीचे दिए अनुसार कार्यान्वित कर रहा है:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	ओडिशा के भाग के लिए अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1	पूर्वी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार स्कीम की स्थापना	13.5
2	पूर्वी क्षेत्र फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना (अतिरिक्त परियोजना) के अंतर्गत संचार प्रणाली	11.31
3	केंद्रीय क्षेत्र के स्टेशनों में स्काडा/आरटीयू/एसएस का उन्नयन और पूर्वी क्षेत्र में ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क परियोजना का सुदृढीकरण	11.14
4	पूर्वी क्षेत्र ग्रिड के भीतर ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क का सुदृढीकरण और अन्य क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी	6.68
5	पूर्वी क्षेत्र (ईआर) में केंद्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र संचार के लिए एकीकृत नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (यूएनएमएस) परियोजना की स्थापना	15.28

वितरण स्कीम के अंतर्गत, एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), ओडिशा की सभी चार यूटिलिटीयों (सेसू, नेस्को, साउथको और वेस्को) को 21 सर्किल, आईटी सक्षमीकरण, ईआरपी में विद्युत वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

इस स्कीम के अंतर्गत कार्य पूर्ण घोषित कर दिए गए हैं और यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 की समाप्ति समय-सीमा के भीतर समाप्त हो गई है। राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए समापन दस्तावेजों के आधार पर किए गए प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- नया 33/11 केवी सब-स्टेशन: 14 (~164 एमवीए अतिरिक्त क्षमता)
- 33/11 केवी अतिरिक्त विद्युत अंतरण/क्षमता वृद्धि: 92 (~375 एमवीए क्षमता)
- 33 केवी और 11 केवी नई लाइनें: ~745 कि.मी.

- 33 केवी और 11 केवी मौजूदा लाइनों का पुनर्संचालन: ~1000 कि.मी.
- एरियल बंडल केबल: ~3400 कि.मी.
- भूमिगत केबल: ~20 किमी
- नए वितरण ट्रांसफार्मर: ~1980 (~314 एमवीए अतिरिक्त क्षमता)
- डीटी की क्षमता अभिवृद्धि: ~1000 (~215 एमवीए अतिरिक्त क्षमता)

इसके अतिरिक्त, सेसू के अंतर्गत आर-एपीडीआरपी स्कीम [आईपीडीएस में समाहित] के अंतर्गत भी कार्य किया गया था। इसके ब्यौरे इस प्रकार हैं:

आईपीडीएस के अंतर्गत प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं को पूरा करना				
राज्य	सेसू	नेसको	साउथको	वेसको
संस्वीकृत सर्किलों की संख्या	05	05	06	05
पूरे किए गए सर्किलों की संख्या	05	05	06	05

आर-एपीडीआरपी परियोजनाएं						
राज्य	भाग-क		भाग-ख		समाप्ति लागत	भारत सरकार की संवितरित राशि
	नगरों की संख्या	पूरे किए गए नगरों की संख्या	नगरों की संख्या	पूरे किए गए नगरों की संख्या		
ओडिशा	12	12	12	12	414	201

ओडिशा में सौभाग्य एवं डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत उपलब्धियां

I. ग्राम विद्युतीकरण की स्थिति (ओडिशा)

दिनांक 28.04.2018 तक की स्थिति के अनुसार, राज्य ने ओडिशा राज्य के सभी जनगणना गांवों के विद्युतीकरण की सूचना दी थी।

II. सौभाग्य (ओडिशा):

सौभाग्य पोर्टल के अनुसार, ओडिशा राज्य के सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत ग्रामीण और शहरी घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

III. ओडिशा राज्य के लिए डीडीयूजीजेवाई स्कीम संबंधी परिव्यय अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1115 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

ओडिशा राज्य के लिए डीडीयूजीजेवाई स्कीम परिव्यय के कार्यों की वास्तविक प्रगति:

मानदंड	एसएजीवाई गांव (सं.)	सब-स्टेशन (सं.)		डीटीआर (सं.)	लाइनें (सर्किट कि.मी.)				ऊर्जा मीटर		
		नए	संवर्धन		एलटी लाइन	(फीडर पृथक्करण	11 (केवी)	33 और 66 केवी लाइन	उपभोक्ता	डीटीआर	फीडर
सर्वेक्षित	30	12	164	3269	2883	1239.89	3384	1547.21	2271702	0	902
उपलब्धि (%)	30 (100%)	12 (100%)	164 (100%)	3269 (100%)	2883 (100%)	1239.89 (100%)	3384 (100%)	1547.21 (100%)	2271702 (100%)	0 (100%)	902 (100%)

अतिरिक्त अवसंरचना (ओडिशा)

मानदंड	एसएजीवाई गांव (सं.)	सब-स्टेशन (सं.)		डीटीआर (सं.)	लाइनें (सर्किट कि.मी.)			
		नए	संवर्धन		एलटी लाइन	(फीडर पृथक्करण	11 (केवी)	33 और 66 केवी लाइन
सर्वेक्षित	0	0	0	10943	8524.5	0	2206.88	0
उपलब्धि (%)	0	0	0	10943 (100%)	8524.5 (100%)	0	2206.88 (100%)	0

आरई घटक:

योजना	संस्वीकृत राशि करोड़ रु. में	संवितरित राशि करोड़ रु. में	मानदंड	सब-स्टेशन (सं.)		डीटीआर (सं.)	लाइनें (सर्किट कि.मी.)			अभ्युक्तियां
				नए	संवर्धन		एलटी लाइन	11 (केवी)	33 और 66 केवी	
Xवीं योजना	443.93	344.38 (77%)	सर्वेक्षित	1	10	8798	8772.41	4312.87	13.48	कार्य पूर्ण किया गया।
			उपलब्धि (%)	1 (100%)	10 (100%)	8798 (100%)	8772.41 (100%)	4312.87 (100%)	13.48 (100%)	
XIवीं योजना	3491.72	2690.52 (77%)	सर्वेक्षित	34	238	62640	51740.78	33462.11	630.1	कार्य पूर्ण किया गया।
			उपलब्धि (%)	34 (100%)	238 (100%)	62640 (100%)	51740.78 (100%)	33462.1 (100%)	630.1 (100%)	
XI- वीं योजना	3552.31	3033.2 (85%)	सर्वेक्षित	8	175	43809	38433.44	15671.4	0	कार्य पूर्ण किया गया।
			उपलब्धि (%)	8 (100%)	175 (100%)	4389 (100%)	38433.44 (100%)	15671.4 (100%)	0 (100%)	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1116

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

झारखंड में एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहीत भूमि

1116. श्री धीरज प्रसाद साहू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनटीपीसी द्वारा एनटीपीसी टंडवा सहित कुल कितने क्षेत्रफल के बराबर की भूमि का अधिग्रहण किया गया है और ऐसे भूमि अधिग्रहण के कारण टंडवा में विस्थापित हुए परिवार सहित कुल कितने परिवार विस्थापित हुए हैं;
- (ख) एनटीपीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण और इसके कारण विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए अपनाई जा रही नीति का स्वरूप क्या है;
- (ग) एनटीपीसी द्वारा विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता का स्वरूप क्या है;
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो पुनर्वास सूची में प्रतीक्षारत परिवारों की संख्या कितनी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिनांक 12.07.2022 तक) के दौरान झारखंड राज्य में एनटीपीसी के लिए अधिग्रहीत भूमि का कुल क्षेत्रफल 46.81 एकड़ है और उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण में से विस्थापित परिवारों की संख्या 01 है।

एनटीपीसी टंडवा (नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट) के लिए विशेष रूप से भूमि का कुल क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010 से पहले मौजूदा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा मांग की गई भूमि मुआवजे की राशि एनटीपीसी द्वारा आगे और संवितरण के लिए जिला भूमि अधिग्रहण

प्राधिकरण के पास जमा की गई थी। एनटीपीसी टंडवा के लिए उक्त भूमि अधिग्रहण, जो वर्ष 2010 से पहले किया गया था, के कारण पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष में विस्थापित परिवारों की कुल संख्या 65 है, तथापि कुछ ऐसे परिवार थे जिन्हें तब मुआवजा नहीं मिला था और अब उन्हें पिछले 5 वर्षों और वर्तमान वर्ष (दिनांक 12.07.2022 तक) में मुआवजा मिला है।

अतः, पिछले 5 वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष तक झारखंड में विस्थापित परिवारों की कुल संख्या 66 (01+65) है।

(ख) : एनटीपीसी के लिए, परियोजनाओं हेतु निजी भूमि भारत सरकार मौजूदा भूमि अधिग्रहण अधिनियम/संबंधित राज्यों के अधिनियम (अधिनियमों) के अनुसार एनटीपीसी के अनुरोध पर संबंधित राज्य सरकार/राज्य प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहित की जाती है।

भूमि दर/मुआवजा और आरएंडआर पैकेज पर भारत सरकार के मौजूदा भूमि अधिग्रहण अधिनियम (अर्थात् आरएफसीटी एलएआरआर अधिनियम, 2013)/संबंधित राज्य सरकारों के अधिनियमों/नीतियों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार/राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(ग) और (घ) : एनटीपीसी के लिए, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास पर, राज्य सरकार के उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा यथानिर्णीत मौजूदा भूमि अधिग्रहण अधिनियम (अर्थात् आरएफसीटी एलएआरआर अधिनियम, 2013) अथवा राज्य के मौजूदा अधिनियम/आरएंडआर नीति के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है।

एनटीपीसी मुआवजे की राशि के वितरण के लिए संबंधित भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण/जिला प्रशासन को मांग की गई राशि प्रदान करता है और आर एंड आर योग्य विस्थापित परिवारों को लाभों के लिए लागत संबंधी प्रावधान करता है।

(ङ) : 18 परिवारों के लिए, एनटीपीसी को जिला प्रशासन द्वारा संपत्ति (संरचनाओं) के मुआवजे के देय भुगतान के बाद पुनर्वास राशि का भुगतान करना होगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1117

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2022 को दिया जाना है ।

जल विद्युत उत्पादन क्षमता

1117. श्री संजय राउत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने जल विद्युत उत्पादन हेतु सक्षम राज्यों का आकलन कराया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस क्षमता का दोहन करने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं;
- (ग) क्या विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र को आबंटित विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं को अभी शुरू किया जाना बाकी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इसमें हो रहे विलंब के कारण क्या हैं; और
- (घ) देश में जल विद्युत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), एक तकनीकी निकाय, ने वर्ष 1978-1987 की अवधि के दौरान देश में जल विद्युत विकास की संभाव्यता के आकलन के लिए अध्ययन किया है। अध्ययन के अनुसार, देश में बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट क्षमता से अधिक) की विद्युत संभाव्यता 145320 मेगावाट है। भारत में जल विद्युत संभाव्यता का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में संलग्न है।

जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की कुल संस्थापित क्षमता दिनांक 30.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार 46850.15 मेगावाट है। इसके साथ-साथ, 14103.5 मेगावाट की क्षमता वाली 36 जलविद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। परियोजनाओं का सार **अनुबंध-II** में संलग्न है। देश में जल विद्युत की संभाव्यता के दोहन में शामिल मुख्य चुनौतियाँ इस प्रकार हैं :-

- I. भूमि अधिग्रहण के मुद्दे
- II. पर्यावरण और वन मुद्दे
- III. पुनर्वास और पुनःस्थापन मुद्दे
- IV. अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं
- V. कानून और व्यवस्था/स्थानीय मुद्दे
- VI. भूवैज्ञानिक आश्चर्य
- VII. प्राकृतिक आपदाएं
- VIII. अंतर्राज्यीय मुद्दे

(ग) : दिनांक 30.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार, सीईए द्वारा संस्वीकृत 10 जलविद्युत परियोजनाएं, जिन्हें निजी क्षेत्र को आवंटित किया गया है, विभिन्न कारणों से निर्माण के लिए अभी शुरू की जानी हैं। ब्यौरे **अनुबंध-III** में संलग्न हैं।

(घ) : जलविद्युत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 08.11.2019 को जल विद्युत परियोजनाओं में समय और लागत आधिक्य को कम करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 29.09.2021 को 'स्वतंत्र अभियंता (आईई)' के माध्यम से "विवाद बचाव तंत्र" और दिनांक 29.12.2021 को संविदात्मक विवादों को शीघ्र और प्रभावी ढंग से हल करने के लिए "स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई)" के माध्यम से "विवाद समाधान तंत्र" अधिसूचित किया है, जिन्हें जल विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक के रूप में अभिचिन्हित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में रुकी हुई जलविद्युत परियोजनाओं को भी विद्युत मंत्रालय के विभिन्न हाइड्रो सीपीएसई के निमित्त दिनांक 22.12.2021 के पत्र के माध्यम से समय पर पूरा करने के लिए इंगित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, सीईए स्थल के दौरे तथा विकासकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत के माध्यम से निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। विद्युत मंत्रालय में बाधाएं अभिचिन्हित करने और परियोजना को शुरू करने के लिए अंतर-मंत्रालयी और अन्य बकाया मुद्दों के तेजी से समाधान की सुविधा के लिए नियमित समीक्षा भी की जाती है, जो परियोजना शुरू करने के लिए अति महत्वपूर्ण है।

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 1117 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में वृहत जल विद्युत के लिए राज्य-वार संभाव्यता

क्षेत्र/राज्य	पुनर्मूल्यांकन अध्ययन (1978-87) के अनुसार 25 मेगावाट से अधिक की अभिचिह्नित क्षमता
उत्तरी क्षेत्र (एनआर)	
जम्मू एवं कश्मीर	11567
लदाख	2046
हिमाचल प्रदेश	18470
पंजाब	971
हरियाणा	64
राजस्थान	483
उत्तराखंड	17998
उत्तर प्रदेश	664
उप-जोड़ (एनआर)	52263
पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर)	
मध्य प्रदेश	1970
छत्तीसगढ़	2202
गुजरात	590
महाराष्ट्र	3314
गोवा	55
उप जोड़ (डब्ल्यूआर)	8131
दक्षिणी क्षेत्र (एसआर)	
आंध्र प्रदेश	3261
तेलंगाना	1099
कर्नाटक	6459
केरल	3378
तमिलनाडु	1693
उप जोड़ (एसआर)	15890
पूर्वी क्षेत्र (ईआर)	
झारखंड	582
बिहार	40
ओडिशा	2981
पश्चिम बंगाल	2829
सिक्किम	4248
उप जोड़ (ईआर)	10680
उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर)	
मेघालय	2298
त्रिपुरा	0
मणिपुर	1761
असम	650
नागालैंड	1452
अरुणाचल प्रदेश	50064
मिजोरम	2131
उप जोड़ (एनईआर)	58356
अखिल भारतीय	145320

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 1117 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में एचई स्टेशनों (25 मेगावाट से कम) की राज्य-वार संस्थापित क्षमता		
क्षेत्र	स्टेशनों की संख्या	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
केंद्रीय	42	15664.70
राज्य	147	27254.45
निजी	22	3931.00
कुल	211	46850.15

देश में निर्माणाधीन एचई विद्युत स्टेशनों (25 मेगावाट से अधिक) का क्षेत्र-वार सार		
क्षेत्र	एचईपी की संख्या	क्षमता (मेगावाट)
केंद्रीय	16	9025
राज्य	11	2601.5
निजी	9	2477
कुल	36	14103.5

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1117 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निजी क्षेत्र की वे जलविद्युत स्कीमें जिन्हें सीईए द्वारा सहमति दी गई है और अभी तक विभिन्न कारणों से निर्माण के लिए शुरू की जानी हैं

क्रम सं.	स्कीम	एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईए की सहमति की तिथि	अभ्युक्तियां
अरुणाचल प्रदेश					
1.	टलॉंग लॉदा	जीएलएचपीएल	225	16.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> ईसी दिनांक 07.08.2015 को दी गई। एफसी-I और एफसी-II अभी प्राप्त की जानी है।
2.	इटालिन	ईएचईपीसीएल	3097	12.07.2013	<ul style="list-style-type: none"> ईसी द्वारा 31.01.2017 को ईसी की सिफारिश की गई। एफसी-I के बाद पत्र जारी किया जाएगा। एफसी-I और एफसी-II अभी प्राप्त की जानी है।
3.	अट्टुनलि	एएचईपीसीएल	680	02.07.2018	<ul style="list-style-type: none"> ईसी और एफसी, दोनों अभी प्राप्त की जानी है।
4.	लोअर सियांग	जेएपीएल	2700	16.02.2010	<ul style="list-style-type: none"> ईसी और एफसी, दोनों अभी प्राप्त की जानी है।
5.	डेमवे लोअर	एडीपीएल	1750	20.11.2009	<ul style="list-style-type: none"> ईसी दिनांक 12.02.2010 को दी गई। एफसी 03.05.2013 को दी गई। परियोजना वर्ष 2017 से एनसीएलटी के अधीन है।
6.	कलाई-II	कलाई पीपीएल	1200	27.3.2015	<ul style="list-style-type: none"> ईसी दिनांक 20.05.2015 को दी गई। अंतिम आदेश एफसी-I प्राप्त करने के बाद जारी किया जाएगा। एफसी-I और एफसी-II अभी प्राप्त की जानी है।
7.	हियो	एचएचपीपीएल	240	28.07.2015	<ul style="list-style-type: none"> ईसी दिनांक 10.11.2015 को दी गई। एफसी-I दिनांक 27.10.2015 को दी गई। एफसी-II अभी प्राप्त की जानी है।
8.	टाटो-I	एसएचपीपीएल	186	28.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> ईसी दिनांक 10.11.2015 को दी गई। एफसी-I दिनांक 27.10.2015 को दी गई। एफसी-II अभी प्राप्त की जानी है।
उप-जोड़ (मेगावाट)			10078		
नागालैंड					
9.	दिखू	एनएमपीपीएल	186	31.03.2014	<ul style="list-style-type: none"> विकासकर्ता द्वारा ईसी अभी प्राप्त की जानी है। एफसी लागू नहीं है क्योंकि वन भूमि शामिल नहीं है।
उप-जोड़ (मेगावाट)			186		
उत्तराखंड					
10.	अलकनंदा	जीएमआरएल	300	08.08.2008	<ul style="list-style-type: none"> ईसी दिनांक 12.3.2008 को दी गई। एफसी-I दिनांक 08.11.2011 को दी गई। एफसी-II दिनांक 09.11.2012 को दी गई। यह परियोजना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षाधीन 24 परियोजनाओं की सूची में शामिल है।
उप-जोड़ (मेगावाट)			300		
कुल जोड़ (मेगावाट)			10564		

टिप्पणी: ईसी: पर्यावरण मंजूरी

एफसी-I: वन मंजूरी का चरण-I

एफसी-II: वन मंजूरी का चरण-II

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1118

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

जल विद्युत उत्पादन में पूर्वी राज्यों की क्षमता

1118. श्री दीपक प्रकाश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने जल विद्युत उत्पादन में पूर्वी राज्यों की क्षमता का आकलन कराया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा इस क्षमता का लाभ उठाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जल विद्युत के उत्पादन हेतु झारखंड राज्य की क्षमता का आंकलन कराया है, यदि हां, तो संबंधित ब्यौरा क्या है; और
- (ग) झारखंड की जल विद्युत क्षमता के दोहन हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत, एक तकनीकी निकाय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वर्ष 1978-1987 की अवधि के दौरान, पूर्वी राज्यों सहित, देश में जल विद्युत विकास की संभाव्यता के आकलन के लिए एक अध्ययन किया है। अध्ययन के अनुसार, पूर्वी राज्यों की बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं की विद्युत संभाव्यता 10680 मेगावाट है। पूर्वी राज्यों में जल विद्युत संभाव्यता का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है।

भारत सरकार ने देश में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत उपाय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

- I. बड़ी जल विद्युत (एलएचपी) (>25 मेगावाट परियोजनाओं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में घोषित करना।
- II. गैर-सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर एक अलग संस्था के रूप में हाइड्रो क्रय दायित्व (एचपीओ)।
- III. जल विद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय।
- IV. बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता।
- V. समर्थकारी अवसंरचना, अर्थात् सड़कों/पुलों को सक्षम बनाने की लागत के लिए बजटीय सहायता।
 - क) 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए 1.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट।
 - ख) 200 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं के लिए 1.0 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट।
- VI. संविदात्मक विवादों को शीघ्रता से और प्रभावी ढंग से हल करने के लिए "स्वतंत्र अभियंता (आईई)" के माध्यम से और "विवाद बचाव तंत्र" तथा "स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई)" के माध्यम से "विवाद समाधान तंत्र" की अधिसूचना।

(ख) और (ग) : सीईए द्वारा किए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययन, 1987 के अनुसार, झारखंड राज्य में बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं की विद्युत संभाव्यता 582 मेगावाट होने का अनुमान है। ब्यौरे **अनुबंध-II** में संलग्न हैं। इसके साथ-साथ, झारखंड सरकार ने सूचित किया है कि राज्य सरकार द्वारा 125.5 मेगावाट की समेकित संस्थापित क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजनाओं (एसएचपी) (25 मेगावाट से कम) की पहचान की गई है। ब्यौरे **अनुबंध-III** में संलग्न हैं। संबंधित राज्य सरकार द्वारा विकासकर्ताओं को जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित की जानी हैं।

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1118 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश के पूर्वी राज्यों में वृहत जल विद्युत की राज्य-वार संभावना

क्षेत्र/राज्य	पुनर्मूल्यांकन अध्ययन (1978-87) के अनुसार 25 मेगावाट से अधिक की अभिचिन्हित क्षमता
झारखंड	582
बिहार	40
ओडिशा	2981
पश्चिम बंगाल	2829
सिक्किम	4248
कुल (ईआर)	10680

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1118 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के दौरान झारखंड में अभिचिन्हित जल विद्युत क्षमता (25 मेगावाट से अधिक)

परियोजना का नाम	नदी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
पंचेट (पंचेट हिल)	दामोदर	40
मैथॉन	दामोदर	60
सुवर्णरेखा एमपीपी	सुवर्णरेखा	30
कोइल करो (कोइल करो स्टे.-I) (लम्पुंगखेल फेज)	एन.कोइल	145
सेरेंगाडा	एन.कोइल	37
संख-II (अपर संख स्टे.-II)	संख	55
लोअर संख	संख	55
इंद्रपुरी (खडवन)	सोन	160
कुल		582

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1118 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

झारखंड सरकार द्वारा अभिचिन्हित लघु जलविद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा (25 मेगावाट से कम)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	बसिया	9
2	तोरपा	13
3	दशम फॉल	6
4	मनोहरपुर	8
5	जोन्हा	1
6	अर्की	1.5
7	सीताफॉल	0.7
8	हुंडू	11
9	कुर्देग	19
10	सुगाबंध-I	4.5
11	सुगाबंध-II	4.5
12	तेहतईतानगर	24
13	रायडीह	23
	कुल	125.2

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1119

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

देश में चालू विद्युत परियोजनाएं

1119. डा. एल. हनुमंतय्या:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में चालू विद्युत परियोजनाओं के साथ-साथ उनके द्वारा उत्पादित विद्युत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 और चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के अधीन कितनी धनराशि संस्वीकृत, आवंटित की गई है और इनमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;
- (ग) क्या कुछ परियोजनाओं की लागत और समय में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इसके साथ ही भविष्य में इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुए बिना समय पर पूरा हो इसके लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : ताप विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, "कोई भी उत्पादन कंपनी इस अधिनियम के तहत कोई उत्पादन कंपनी निर्दिष्ट ग्रिड से संयोजना से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति/अनुमति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।" वर्तमान में, देश में कुल 27,550 मेगावाट की 20 ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों के विवरण के साथ-साथ लागत/समय आधिक्य के ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

वर्तमान में, देश में कुल 12,867.50 मेगावाट की 27 जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) (25 मेगावाट से अधिक) सक्रिय रूप से निर्माणाधीन हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वर्तमान वर्ष के दौरान, निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरों के साथ-साथ लागत/समय आधिक्य के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

ये परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, इसीलिए इन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत का उत्पादन नहीं हो सकता है।

जल-विद्युत और ताप-विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

- संविदात्मक मुद्दे
- रेलवे लाइन/रेलवे साइडिंग्स की तैयारी में कमी
- उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा आपूर्ति में विलंब
- भूमि अधिग्रहण में विलंब
- स्थानीय मुद्दों के कारण कार्य में बाधा
- मुकदमेबाजी
- डिजाइन में बदलाव के कारण विलंब
- कोयला खदानें, कोयला लिंकेज मिलने में विलंब।
- भू-गर्भीय विस्मय (जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में)

विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय (एमओपी)/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई/कदम उठाए गए हैं:

- विद्युत मंत्रालय/सीईए लगातार स्थल दौरों और विकासकर्ताओं एवं अन्य हितधारकों के साथ बातचीत के माध्यम से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। सीईए परियोजनाओं को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए विकासकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें करता है।
- अंतर-मंत्रालयी और अन्य बकाया मुद्दों के तेजी से समाधान के लिए बाधा क्षेत्रों की पहचान करने हेतु विद्युत मंत्रालय में नियमित समीक्षा भी की जाती है।
- केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की परियोजनाओं के मामले में, परियोजना कार्यान्वयन मापदंडों/लक्ष्यों को संबंधित सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापन में शामिल किया जाता है और विद्युत मंत्रालय/सीईए में आयोजित सीपीएसयू की तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों और अन्य बैठकों के दौरान इसकी निगरानी की जाती है।
- परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को मुद्दों को हल करने में सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों को राज्य सरकार/जिला प्रशासन के साथ उठाया जा रहा है।
- राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) मुद्दों के समाधान में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार/जिला प्रशासन के साथ मामले उठाए जाते हैं।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1119 के भाग (क) के (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं में किए गए व्यय, समय और लागत आधिक्य का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	समय			लागत			व्यय		
					ट्रायल रन की मूल तिथि	ट्रायल रन की अंतिम तिथि	समय आधिक्य	मूल लागत	नवीनतम लागत (करोड़)	लागत आधिक्य (%)	लागत आधिक्य (रूपये करोड़ में)	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय	वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय (मई, 2022 तक)
आंध्र प्रदेश													
1	डॉ. नरला टाटा राव टीपीएस स्टे-V	एपीजेनको	यू-1	800	अप्रैल-19	सितम्बर-22	3 वर्ष, 5 माह	5286.54	7586.67	43.51%	2300.13	769.5	104.08
2	श्री दामोदरम संजीवियाह टीपीपी स्टे-II	एपीपीडीसीएल (एपीजेनको तथा आईएलएफएस का संयुक्त उद्यम)	यू-1	800	जून-19	अक्तूबर-22	3 वर्ष, 4 माह	4276.03	8069.87	88.72%	3793.84	920.53	72.24
बिहार													
3	बाढ़ एसटीपीपी-I	एनटीपीसी	यू-2	660	दिसं.-10	दिसं.-22	12 वर्ष, 0 माह	8693	21312.1	145.16%	12619.1	1185.00	122.00
			यू-3	660	अक्तू-11	दिसं.-23	12 वर्ष, 2 माह						
4	बक्सर टीपीपी	एसजेवीएन	यू-1	660	मई-23	जून-23	0 वर्ष, 1 माह	10439.09	10439.09	0.00%	0	2691.06	545.00
			यू-2	660	सितं.-23	जन.-24	0 वर्ष, 4 माह						
झारखंड													
5	नॉर्थ करनपुरा एसटीपीपी	एनटीपीसी	यू-1	660	अक्तू.-22	अक्तू.-22	0 वर्ष, 0 माह	14367	15389.42	7.12%	1022.42	1051.00	107.00
			यू-2	660	मई-23	मई-23	0 वर्ष, 0 माह						
			यू-3	660	जन.-24	जन.-24	0 वर्ष, 0 माह						
6	पतरातु एसटीपीपी	पीवीयूएनएल (एनटीपीसी तथा झारखंड बिद्युत वितरण निगम लिमिटेड का संयुक्त उद्यम)	यू-1	800	जून-24	जून-24	0 वर्ष, 0 माह	17112	18668	9.09%	1556	1846.48	215.97
			यू-2	800	दिसं.-24	दिसं.-24	0 वर्ष, 0 माह						
			यू-3	800	जून-25	जून-25	0 वर्ष, 0 माह						
कर्नाटक													
7	येहालांका सीसीपीपी	केपीसीएल	जीटी+एसटी	370	फर.-18	जन.-23	4 वर्ष, 11 माह	1571.18	2243.34	42.78%	672.16	253.8	2.74
महाराष्ट्र													
8	भुसावल टीपीएस	महाजेनको	यू-6	660	मई-22	जून-23	1 वर्ष, 1 माह	4548	4550.97	0.07%	2.97	1173.8	86.2
तमिलनाडु													

9	एन्नोर एसटीपीपी	टेनजेडको	यू-1	660	नवंबर-17	मार्च-24	6 वर्ष, 4 माह	9800	9800	0.00%	0	260.14	16.99
			यू-2	660	जन.-18	अप्रैल-24	6 वर्ष, 3 माह						
10	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे-III	टेनजेडको	यू-1	800	अप्रैल-19	अक्टू.-22	3 वर्ष, 6 माह	6376	8722.86	36.81%	2346.86	760.29	25.34
11	उप्पुर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	टेनजेडको	यू-1	800	नवंबर-19	अस्थगित *	अस्थगित	12778	12778	0.00%	0	47.08	0
			यू-2	800	नवंबर-19	अस्थगित *	अस्थगित						
12	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज I	टेनजेडको	यू-1	660	जन.-21	मार्च-24	3 वर्ष, 2 माह	13076.705	13076.71	0.00%	0	1711.14	178.41
			यू-2	660	मार्च-21	जून-24	3 वर्ष, 3 माह						
तेलंगाना													
13	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे- I	एनटीपीसी	यू-1	800	मई-20	अगस्त-22	2 वर्ष, 3 माह	10599	10997.7	3.76%	398.7	828.00	98.00
			यू-2	800	नवंबर-20	फर.-23	2 वर्ष, 3 माह						
14	यदाद्री टीपीएस	टीएसजेनको	यू-1	800	अक्टू.-20	अप्रैल-23	2 वर्ष, 6 माह	25099.42	29965.48	19.39%	4866.06	3582.33	523.24
			यू-2	800	अक्टू.-20	अगस्त-23	2 वर्ष, 10 माह						
			यू-3	800	जून-21	दिस.-23	2 वर्ष, 6 माह						
			यू-4	800	जून-21	अप्रैल-24	2 वर्ष, 10 माह						
			यू-5	800	अक्टू.-21	अगस्त-24	2 वर्ष, 10 माह						
उत्तर प्रदेश													
15	घटमपुर टीपीपी	एनयूपीपीएल (एनएलसी तथा यूपीआरवीयूएनएल का संयुक्त उद्यम)	यू-1	660	मई-20	अगस्त-22	2 वर्ष, 3 माह	17237.8	17237.8	0.00%	0	1883.23	352.31
			यू-2	660	नवंबर-20	फर.-23	2 वर्ष, 3 माह						
			यू-3	660	मई-21	जून-23	2 वर्ष, 1 माह						
16	खुर्जा एससीटीपीपी	टीएचडीसी	यू-1	660	जुलाई-23	जन.-24	0 वर्ष, 6 माह	11089.42	11089.42	0.00%	0	1877.46	358.05
			यू-2	660	जन.-24	जुलाई-24	0 वर्ष, 6 माह						
17	जवाहरपुर एसटीपीपी	यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	660	दिस.-20	अप्रैल-23	2 वर्ष, 4 माह	8078.56	10566.27	30.79%	2487.71	2224.36	188.72
			यू-2	660	अप्रैल-21	अक्टू.-23	2 वर्ष, 6 माह						
18	ओबरा-सी एसटीपीपी	यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	660	दिस.-20	अक्टू.-22	1 वर्ष, 10 माह	8777.71	10416	18.66%	1638.29	1826.42	104.53
			यू-2	660	अप्रैल-21	मई-23	2 वर्ष, 1 माह						
19	पंकी टीपीएस एक्सटेंशन	यूपीआरवीयूएनएल	यू-1	660	सितं.-21	मई-23	1 वर्ष, 8 माह	5816.7	5816.7	0	0	951.81	373.4
पश्चिम बंगाल													
20	सागरदिघी ताप विद्युत परियोजना फेज-III	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	यू-1	660	जन.-24	अप्रैल-24	0 वर्ष, 3 माह	3862.65	4567.32	18.24%	704.67	330.97	65.82
कुल				27550									

राज्य सभा में दिनांक 26.07.2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1119 के भाग (क) के (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे (25 मेगावाट से अधिक)

क्र.सं.	परियोजना का नाम/(आईसी)/निष्पादन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	लागत आधिक्य (करोड़ रुपये में) (%)	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय (करोड़ रुपये में)	वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय (जून, 2022 तक) (करोड़ रुपये में)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	आंध्र प्रदेश										
1	पोलावरम (12x80 = 960 मेगावाट) एपजैको/सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	2016-17 2016-17 2016-17 2016-17 2016-17 2016-17 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 2025-26	96	3013.68 (2010-11 पीएल) (विद्युत घटक)	5338.95 (2016-17 पीएल) (विद्युत घटक)	2325.27 (77.15)	200.35	25.59
2	पन्नीपुरम (4x240+2x120 मेगावाट) मैसर्स ग्रीनको	1 2 3 4 5 6	240 240 240 240 120 120	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25	शून्य	6465.22 (फर.'2021 पीएल)	6465.22 (फर.'2021 पीएल)	शून्य	निर्माण का प्रारंभिक चरण	निर्माण का प्रारंभिक चरण
	अरुणाचल प्रदेश										
3	सुबानसिरी लोअर (8x250 = 2000 मेगावाट) एनएचपीसी	1 2 3 4 5 6 7	250 250 250 250 250 250 250	2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11	2022-23 2022-23 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24	162	6285.33 (12/02)	19992.43 (04/17)	13707.10 (218.08)	2151.73	456.54

क्र.सं.	परियोजना का नाम/(आईसी)/निष्पादन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	लागत आधिक्य (करोड़ रुपये में) (%)	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय (करोड़ रुपये में)	वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय (जून, 2022 तक) (करोड़ रुपये में)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8	250	2009-11 (सितम्बर'10)	2023-24 (मार्च'24)						
	असम										
4	लोअर कोपिली (2x55+2x2.5+1x5 =120 मेगावाट)	1 2 3 4 5	55 55 5 2.5 2.5	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 (जून'24)	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 (जून'24)	शून्य	1115.91 (01/15)	1795 (2021)	679.09 (60.86)	26.64	0
	हिमाचल प्रदेश										
5	पारबती-II (4x200 = 800 मेगावाट) एनएचपीसी	1 2 3 4	200 200 200 200	2009-10 2009-10 2009-10 2009-10 (सितम्बर'09)	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 (सितम्बर,23)	168	3919.59 (12/01)	9897.59 (04/18)	5978 (152.51)	770.79	219.58
6	उहल-III (3x33.33 = 100 मेगावाट) बीवीपीसीएल	1 2 3	33.33 33.33 33.33	2006-07 2006-07 2006-07 (मार्च'07)	2022-23 2022-23 2022-23 (मार्च,23)	201	431.56 (09/02)	2400 (2022)	1968.44 (456.12)	181.28	27.7
7	शौगटम करचम (3x150 = 450 मेगावाट) एचपीपीसीएल	1 2 3	150 150 150	2016-17 2016-17 2016-17 (मार्च'17)	2024-25 2024-25 2024-25 (मार्च,25)	96	2807.83 (07/11)	2807.83 (07/11)	#	162.70	30.64
8	टिडोंग-I 2x50 =100 मेगावाट स्टेटक्राफ्ट इंडिया प्रा. लिमिटेड	1 2	50 50	2013-14 2013-14 (दिस.'13)	2022-23 2023-24 (अप्रैल, 23)	112	543.15 (06/18)	1472.00	928.85 (171.01)	263.00	67.00
9	कुटेहर 3x80=240 मेगावाट जेएसडब्ल्यू एनर्जी (कुटेहर) लि.	1 2 3	80 80 80	2024-25 2024-25 2024-25 (नवंबर'24)	2025-26 2025-26 2025-26 (नवंबर'25)	12	1798.13 (09/2011)	2879 (09/2011)	1080.87 (60.11)	375.28	100.38
10	लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना स्टे-I 2X80+2X25=210 मेगावाट (एसजेवीएन)	1 2 3 4	80 80 25 25	2025-26 2025-26 2025-26 (जनवरी'26)	2025-26 2025-26 2025-26 (जनवरी'26)	शून्य	1912.59 (2017)	1912.59 (2017)	शून्य	222.54	121.58
11	धौलासिद्ध (एसजेवीएन) 2x33=66 मेगावाट हमीरपुर/कांगड़ा	1 2	33 33	2025-26 2025-26 (नवंबर'25)	2025-26 2025-26 (नवंबर'25)	शून्य	687.97 (05/2020)	687.97 (05/2020)	शून्य	85.09	40.58

क्र.सं.	परियोजना का नाम/(आईसी)/निष्पादन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	लागत आधिक्य (करोड़ रुपये में) (%)	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय (करोड़ रुपये में)	वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय (जून, 2022 तक) (करोड़ रुपये में)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार										
12	पकल दुल (4x250= 1000 मेगावाट) सीवीपीपीएल	1 2 3 4	250 250 250 250	2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 (अप्रैल'20)	2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 (जुलाई'25)	63	8112.12 (03/13)	8112.12 (03/13)	#	542.41	114.12
13	परनई 3x12.5= 37.5 मेगावाट जेकेएसपीडीसी	1 2 3	12.5 12.5 12.5	2017-18 2017-18 2017-18 (जनवरी'18)	2023-24 2023-24 2023-24 (दिसम्बर,23)	71	640.86 (पूरा करने की लागत)	640.86 (पूरा करने की लागत)	#	31.61	4.315
14	किरू (4x156=624 मेगावाट) सीवीपीपीएल	1 2 3 4	156 156 156 156	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 (अगस्त,23)	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 (अगस्त,24)	12	4287.59 (07/18)	4287.59 (07/18)	शून्य	273.87	44.17
15	रतले (4x205+1x30) = 850 मेगावाट आरएचपीपीएल/ एनएचपीसी	1 2 3 4 5	205 205 205 205 30	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 (जनवरी, 18)	2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 (फरवरी'26)	97	5517.02 (पूरा करने की लागत)	5517.02 (11/18)	शून्य	137.7	12.31
16	क्वार (4x135=540 मेगावाट) सीवीपीपीएल	1 2 3 4	135 135 135 135	2026-27 2026-27 2026-27 2026-27 (नवंबर'2026)	2026-27 2026-27 2026-27 2026-27 (नवंबर'2026)	शून्य	4526.12 (सितम्बर.'20)	4526.12 (सितम्बर.'20) 4526.12 (सितम्बर.'20)	शून्य	21.45	7.34
	केरल										
17	पल्लीवसल 2x30 = 60 मेगावाट केएसईबी	1 2	30 30	2010-11 2010-11 (मार्च'11)	2022-23 2022-23 (मार्च,23)	144	222 (1999)	550.00 (2018)	328 (147.74)	41.845	10.77
18	शोटियार (1x30+1x10)= 40 मेगावाट केएसईबी	1 2	30 10	2012-13 2012-13 (अप्रैल'12)	2022-23 2022-23 (मार्च,23)	131	136.79 (2007)	280 (2018)	143.21 (104.69)	19.07	7.392
	पंजाब										
19	शाहपुरकंडी	1	33	2015-16	2024-25		1835.50	1938.74	103.24	257.12	29.88

क्र.सं.	परियोजना का नाम/(आईसी)/निष्पादन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	लागत आधिक्य (करोड़ रुपये में) (%)	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय (करोड़ रुपये में)	वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय (जून, 2022 तक) (करोड़ रुपये में)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3x33+3x33+1x8 =206 मेगावाट, सिंचाई विभाग और पीएसपीसीएल	2 3 4 5 6 7	33 33 33 33 33 8	2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 (मार्च, 16	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 (अगस्त, 24)	101 101	(04/08) (विद्युत घटक)	(02/18) (विद्युत घटक)	(5.62)		
	सिक्किम										
20	तीस्ता स्टेज-VI (4x125 = 500 मेगावाट) एनएचपीसी	1 2 3 4	125 125 125 125	2012-13 2012-13 2012-13 2012-13 (जुलाई'12)	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 (मार्च,24)	140	3283.08 (पूरा करने की लागत)	5748.04 (07/2018)	2464.96 (75.08)	445	155.57
21	रंगित-IV एचई परियोजना (3X40 = 120 मेगावाट) जेपीसीएल	1 2 3	40 40 40	2011-12 2011-12 2011-12 (जनवरी'12)	2024-25 2024-25 2024-25 (मई'24)	148	737.28 (पूरा करने की लागत)	938.29 (10/19)	204.01 (27.78)	116.49	62.09
	तमिलनाडु										
22	कुंडहा पीएसपी (फेज-I, फेज-II व फेज-III) (4x125=500 मेगावाट) टेनजेडको	1 2 3 4	125 125 125 125	2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 (अगस्त,21)	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 (मार्च,24)	31	1216.59 (2007-08)	1831.29 (2014)	614..7 (50.52)	136.23	131.44
	उत्तराखंड										
23	तपोवन विष्णुगढ़ (4x130 = 520 मेगावाट) एनटीपीसी	1 2 3 4	130 130 130 130	2012-13 2012-13 2012-13 2012-13 (मार्च'13)	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 (जुलाई'24)	135	2978.48 (03/04)	5867.38 (04/19)	2888.90 (96.99)	366.56	150.59
24	टिहरी पीएसएस (4x250 = 1000 मेगावाट) टीएचडीसी	1 2 3 4	250 250 250 250	2010-11 2010-11 2010-11 2010-11 (जुलाई'10)	2022-23 2023-24 2023-24 2023-24 (जुलाई'23)	155	1657.60 (12/05)	4825.60 (02/19)	3168 (191.12)	562.35	121.19
25	नैटवर मोरी (2x30 = 60 मेगावाट) एसजेवीएनएल	1 2	30 30	2021-22 2021-22 (दिसम्बर'21)	2022-23 2022-23 (जनवरी'-23)	13	648.33 (10/2016)	947.89 (12/2020)	299.56 (46.20)	301	88.56

क्र.सं.	परियोजना का नाम/(आईसी)/निष्पादन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	मूल लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (कीमत स्तर)	लागत आधिक्य (करोड़ रुपये में) (%)	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय (करोड़ रुपये में)	वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय (जून, 2022 तक) (करोड़ रुपये में)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	विष्णुगाड पीपलकोटि (4x111 = 444 मेगावाट) टीएचडीसी	1 2 3 4	111 111 111 111	2013-14 2013-14 2013-14 2013-14 (जुलाई'13)	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 (मार्च'25)	141	2491.58 (03/08)	3860.35 (02/19)	1368.77 (54.93)	261.37	104.71
पश्चिम बंगाल											
27	रम्माम-III (3x40= 120 मेगावाट)	1 2 3	40 40 40	2019-20 2019-20 2019-20 (सितम्बर'19)	2024-25 2024-25 2024-25 (दिसम्बर,24)	63	1381.84 (09/14)	1381.84 (09/14)	#	100.47	13.17

नोट: - यह उल्लेख करना है कि लागत आधिक्य की गणना नवीनतम लागत (मूल्य स्तर के साथ विकासकर्ता द्वारा सीईए को प्रदान की गई) और केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मूल लागत के बीच के अंतर के रूप में की गई है। अधिकांश मामलों में वर्तमान मूल्य स्तर पर नवीनतम लागत विकासकर्ताओं द्वारा प्रदान नहीं की गई है।

नवीनतम लागत की अनुपलब्धता के कारण लागत आधिक्य की गणना नहीं की जा सकी।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1120

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी

1120. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय ने विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी के लिए किसी प्रायोगिक परियोजना या परीक्षण संबंधी मामलों में निवेश किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या मंत्रालय द्वारा इस मामले के संबंध में कोई नीति या श्वेत पत्र का मसौदा तैयार किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) क्या विगत वर्ष जारी किए गए विद्युत संबंधी नियमों के तहत किसी एकल आधार पर ऊर्जा भंडारण प्रणाली को विद्युत नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सौर पीवी परियोजनाओं के साथ-साथ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के वाणिज्यिक पैमाने संबंधी कार्यान्वयन में निवेश किया है। भारत सरकार भी अनुदान सहायता के माध्यम से कुछ भंडारण परियोजनाओं का समर्थन कर रही है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत, एक सीपीएसई, भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई), ने निम्नलिखित तीन परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया है:

- (i) कवरती द्वीप, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में 1.4 एमडब्ल्यूएच बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 1.4 मेगावाट सौर पीवी परियोजना (एमएनआरई अनुदान के माध्यम से समर्थित)
- (ii) फ्यांग, लेह, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में 20 मेगावाट/50 एमडब्ल्यूएच बीईएसएस के साथ 50 मेगावाटपी एसपीवी परियोजना (पीएमडीपी 2015 के अंतर्गत भारत सरकार के अनुदान द्वारा समर्थित)
- (iii) राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ राज्य में 40 मेगावाट/120 एमडब्ल्यूएच बीईएसएस के साथ 100 मेगावाट एसपीवी परियोजना।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 11 मार्च, 2022 को सहायक सेवाओं के साथ-साथ, उत्पादन, पारेषण और वितरण परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की खरीद और उपयोग के लिए बोली दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। ग्रिड पैमाने पर ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयन चरण में हैं।
